# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

**रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 03/2016–17**

हलधर मंडल ........................................................................................ आवेदक

**बनाम**

राधा प्रसाद मंडल ................................................................................ विपक्षी

**।। आदेश ।।**

**27/07/2016** यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 03/16–17 हलधर मंडल बनाम राधा प्रसाद मंडल, सा0 हारोखा, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी (दण्डाधिकारी), दुमका के आवेदन सं0 89/2015 में आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष सहोदर भाई है तथा मामला स्वतः एवं अधिकार तथा पोष्यपुत्र से संबंधित है। विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में अपनी जमींन अर्थात् पैतृक सम्पत्ति को जोत आबाद करने के लिये पुलिस की सहायता हेतु आवेदन सं0 89/2015 दाखिल किया गया। उक्त आवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय (अनुमंडल दण्डाधिकारी) द्वारा प्रशासनिक आदेश (Administrative Order) पारित करते हुए अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी को अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए विपक्षी को खेती करने में सहयोग करने एवं शांति बनाये रखने हेतु आदेश दिया गया। किन्तु आदेश पारित करने के पूर्व न तो आवेदक को सूचना निर्गत किया गया और न तो कारण पृच्छा की ही मांग की गई है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल अपील सं0 1427/2016 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 के आलोक में न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।